राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला – भीलवाड़ा

मुकदमा नम्बर 08/2016

दायर दिनांक 04.07.2016

–: अनवानः–

1. श्रीमती द्रोपदी धर्मपत्नि श्रीरामलाल ढोली उम्र 55 वर्ष पेशा खेती निवासी बीगोद तह0 माण्डलगढ
2. श्रीमती भूरी पुत्री श्री दुर्गालाल पत्नि श्रीमदनलाल ढोली उम्र 60 वर्ष पेशा खेती निवासी जोर का खेड़ा तह0 माण्डलगढ़
3. अम्बालाल पिता श्रीमगनलाल ढोली उम्र 70 वर्ष पेशा खेती निवासी नई आवादी माण्डलगढ़
4. भैरुलाल पिता श्रीमगनलाल ढोली उम्र 70 वर्ष पेशा खेती निवासी नई आवादी माण्डलगढ़

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. मुनीर पिता श्रीईस्माइल कुडागरी मुसलमान उम्र व्यस्क निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़

(अप्रार्थी)

अधिवक्ता प्रार्थी श्री महेश सुखवाल

अधिवक्ता अप्रार्थीगण श्री संजय खटीक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) रा0 टी0 एक्ट 1955

निर्णय दिनांक 16.09.2019

निर्णय

पत्रावली पेश हुई उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण उपस्थित है। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण श्रीमती द्रोपदी धर्मपत्नि श्रीरामलाल ढोली उम्र 55 वर्ष पेशा खेती निवासी बीगोद, श्रीमती भूरी पुत्री श्री दुर्गालाल पत्नि श्रीमदनलाल ढोली उम्र 60 वर्ष पेशा खेती निवासी जोर का खेड़ा, अम्बालाल, भैरुलाल पिता श्रीमगनलाल ढोली उम्र 70 वर्ष पेशा खेती निवासी नई आवादी माण्डलगढ़ ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया है कि उनके नाम ग्राम बिगोद प0 हल्का बिगोद तहसील माण्डलगढ की सरहद में स्थित खाता संख्या 637 के आराजी न0 2237 रकवा 1.10 बीघा है जिस पर विपक्षी ने जबरन कब्जा कर रखा है। उक्तानुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी रा0 टि0 ए0 के तहत दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नियमानुसार जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथी की ओर

तहसीलदार
माण्डलगढ

से अधिवक्ता श्री संजय खटीक ने जवाब पेश किया तथा जवाब में बताया कि उक्त आराजी प्रार्थीगण के पूर्वज दुर्गालाल पिता देबीलाल बारेठ ने घर खर्च हेतु रुपये कि आवश्यकता होने से बिल एवज 300/– अक्षरे तीन सौ रुपये में प्राप्त कर दिनांक 17.04.1964 को 10 रुपये स्टाम्प पर बेचान कर दी है। तब से अप्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। ताईद में अप्रार्थी ने बेचाननामे की प्रति पेश की जो कि शामिल पत्रावली की गयी है। किन्तु प्रार्थीगण ने उक्त बेचान नामें को फर्जी करार बताया तथा उक्त जमीन पर स्वयं को ही कब्जा होना बताया तथा सम्वत् 2070 के आषाढ माह में उक्त भूमि पर से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करके भूमि पर अतिक्रमण कर फसल काश्त कर दी।

संबधित भू0 अभि0 नि0 द्वारा मौका रिपोर्ट मंगायी गयी जो शामील पत्रावली है। भू0 अभि0 नि0 द्वारा आराजी नम्बर 2237 रकबा 1बीघा 10 बिस्वा भूमि को प्रार्थीगण बनवारी, राजु पिता रामलाल राधा, सीमा पूत्री रामलाल द्रोपदी पत्नि स्व0 रामलाल, गोविन्द भूरी पिता दुर्गालाल 1/3 उंकार श्यामलाल पिता मोहनलाल 1/3 अम्बालाल भैरुलाल पिता मगनलाल 1/3 ढोली सा0 देह खातेदार के रेकॉर्ड दर्ज है लेकिन उक्त भूमि पर खातेदारों का कब्जा नही होकर मुनीर पिता इस्माइल कुडागरी मुसलमान निवासी बीगोद का कब्जा है।

इसके पश्चात मैरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की है। एव भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा किया जाना स्पष्ट है। ऐसी स्थिति मे अप्रार्थी का विवादग्रस्त आराजी नम्बर 2237 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि से अप्रार्थी का कब्जा हटाया जाना न्यायोचित है।

आदेश

ग्राम बिगोद पटवारी हल्का बिगोद तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में स्थित आराजी न0 2237 रकबा 1बीघा 10 बिस्वा भूमि का कब्जा अप्रार्थी का हटाया जाकर प्रार्थीगण को सुपुर्द किए जाने का निर्णय पारित किया जाता है। इस बाबत संबंधित भू0अभिलेख निरीक्षक को अलग से तहरीर जारी की जावे। पत्रावली बाद दाखिला सुमार फैसल हो। नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2019 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले इजलास मे सरे–आम सुनाया गया।

तहसीलदार
माण्डलगढ़

(गोवर्धन लाल बैरवा)
तहसीलदार माण्डलगढ़
जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner